[illegible] के अभिभाषक उपस्थित न होने से निस्तारी की स्थिति स्पष्ट नहीं है। अभिभाषक को अस्थायी निषेधाज्ञा से संबंधित विधि जानकारी हेतु अतिरिक्त के तकनीकी अभिभाषक गण को जानकर पत्रावली दिनांक 5/7/16 को रखा है।

उपखण्ड अधिकारी
करौली

5/7/16 विद्यमान P.O. Tarka के अवकाश में होने के कारण आज दिनांक 5/7/16 को विचाराधीन राजस्व मुकदमात की सुनवाई दिनांक 22/9/16 को की जावेगी।

22/9/16 वकील शासन उपस्थित। विद्यमान P.O. तथा अन्य राजकार्यों में व्यस्त है। अभिभाषक की ओर से डाक में बकाया कागजात पेश हुआ। पत्रावली अगले अवकाश दिनांक 22/11/16 को रखी जावे।

22/11/16 वकील फरीकेन उपस्थित। वकील शासन अपना को बयान नहीं चाहते हैं तथा शासन को नोट-प्रिपेयर्ड किया है। अतः शासन नोट प्रिपेयर्ड से अवगत किया जाता है। पत्रावली फरीक सुनवाई के अवसर से कम है। स्थगित चल रहा है।

Not Prepared
शासकीय
[illegible]
उ0ख0

उपखण्ड अधिकारी
करौली